FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

नूरी वगैरह .... बनाम .... सरपंच ग्राम पंचायत चौखला वगैरह

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR नं. 01 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/2018	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 R.L.R. Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/3/18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में है~~ है दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 10/5/18 को पेश हो।	
10/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश में है। अतः पत्रावली इत्तला होकर दिनांक 27/8/18 को पेश हो।	
27/8/18	पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 14.11.2018 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:29:11 IST
Reason: SelfAttested

14-11-18 पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो में व्यस्त है अतः पत्रावली दिनांक 16.01.2019 को पेश हो।

16-01-19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 20.2.19 को पेश हों।

20-02-19 पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादीगणों / उत्तरदातागणों के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है अतः पत्रावली दिनांक 03.04.2019 को पेश हो।

03-04-19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 24.6.19 को पेश हों।

24.6.19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 09.10.19 को पेश हों।

09.10.19 पत्रावली आज पेश हुई। उत्तरदातागण सं. 4 व 9 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड भेजे गये तथा शेष उत्तरदातागण के सम्मन पूर्व में दिनांक 20.02.19 को तामिल शुदा प्राप्त हो चुके है। उत्तरदातागण सं. 1 से 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। न्यायालय समय में अलग-अलग समय में आवाज लगाई गई। अन्तिम [illegible] लगाई गई। लेकिन उत्तर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:29:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
(SDO) [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित हुए। न ही कोई अन्य उप० हुआ। अत: उत्तरदातागण सं० 1 से 10 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.01.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22.01.2020	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त है अत: पत्रावली दिनांक 25.03.2020 को पेश हो।	
25.08.2020	कोविड-19 के कारण कार्य पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। अपीलांट वकील की बहस सुनी गई। अपीलांट की अपील अंदर म्याद स्वीकार की जाकर, निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	तेजाराम जेठाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:29:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 01/2018

अपीलांट बनाम उतरदाता

1. भूरी पुत्री खींयाराम पत्नी जगमालराम जाति जाट निवासी भोजासर, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर
2. धाउ पुत्री खींयाराम पत्नी नगाराम जाति जाट निवासी पांचाणियों की ढाणी, भाडखा तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. सरपंच ग्राम पंचायत चौखला
2. चैनाराम पुत्र गुमनाराम
3. टीकूराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
4. धापू पुत्री खींयाराम पत्नी भीयाराम जाति जाट निवासी उन पिजाई केन्द्र के सामने, लक्ष्मी नगर बाड़मेर
5. भूराराम पुत्र प्रभूराम
6. बांकाराम पुत्र प्रभूराम
7. फताराम पुत्र प्रभूराम
8. तगाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी, चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर
9. शाखा प्रबन्धक एसबीआई कवास
10. तहसीलदार बायतु

दिनांक :– 25/08/2020

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील अपीलांट

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–2/12.06.1958 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 4 की संयुक्त व पैतृक खातेदारी भूमि मौजा नवलदेव छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के ख.नं मूल खेत खसरा नम्बर 25 वर्तमान खसरा नम्बर 691/25, 692/25, 689/25 रकबा क्रमशः 13.05, 16.12, 86.00 कुल रकबा 115.17 बीघा में आई हुई हैं। अपीलांट के पिता खींया के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं करके मात्र उत्तरदातागण संख्या 2 व 3 के पिता गुमना गोद पुत्र खींया के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया है। जबकि अपीलांट भी खींया की वारिश थी। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांटगण का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को नोटिस जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 1 व 10 स्वयं या उनकी तरफ से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं होने से दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:29:11 IST
Reason: SelfAttested

.10.2019 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांटगण के वकील द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये।

नामान्तरकरण संख्या–2/12.06.1958 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांटगण के पिता के फौत होने पर भरे गये फौतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया जाकर गोद पुत्र गुमना का ही नाम दर्ज कर दिया गया।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–2/12.06.1958 को खारिज किया जाकर, मौजा नवलदेव छतरी पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के ख.नं मूल खेत खसरा नम्बर 25 वर्तमान खसरा नम्बर 691/25, 692/25, 689/25 रकबा क्रमशः 13.05, 16.12, 86.00 कुल रकबा 115.17 बीघा भूमि में अपीलांटगण का नाम उत्तरदाता संख्या 2 से 4 के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 14:29:11 IST
Reason: SelfAttested